राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ,राज. जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88/2013/ दिनांक :

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकलपीठ याचिका संख्या 9051/2011 द्वारा श्री बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 06.09.2012 की पालना में राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 76 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा अनुमोदनोपरान्त जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2012–13 में फैडरेशन कोटे की 25 सीटों पर प्रवेश की अनुमति निदेशालय के आदेश क्रमांक : 1471 दिनांक 06.01.2013 द्वारा प्रदान की गई थी।

वर्तमान में राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 2352/एम/एमएण्डएच/2013 दिनांक 26.09.2013 के द्वारा उक्त संस्था श्री बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर को सत्र 2013–14 में छात्रों की कुल क्षमता 50 छात्र में से 50 प्रतिशत सीटे राजकीय काउंसलिंग एवं 50 प्रतिशत सीटें फैडरेशन काउंसलिंग से भरने की अनुमति दिये जाने के फलस्वरूप संस्थान का नाम विभाग द्वारा जारी निजी नर्सिंग स्कूलों की सूची में निम्नानुसार जोडा जाता है:–

क्र.स.	अंतिम सूची में क्र.स.	संस्थान का नाम	जिला	कुल सीटे	50 प्रतिशत राजकीय कोटे से	50 प्रतिशत फैडरेशन कोटे से	विशेष विवरण
1.	136.	श्री बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर	जोधपुर	50	25	25	

छात्रों को जारी किये जाने वाले उक्त संस्थान के आंवटन पत्रों पर अंकन किया जाना अनिवार्य होगा कि "उक्त संस्थान में दिया जाने वाला प्रवेश माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन होगा।"

(के0एल0 स्वामी)
अति0 निदेशक (प्रशा.)

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88/2013/563 दिनांक : 03/10/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करे।
4. सचिव, राजकीय प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फैडरेशन ई–277, लाल कोठी स्कीम, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल्स।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(के0एल0 स्वामी)
अति0 निदेशक (प्रशा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राज. जयपुर